

संख्याक -01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डधिकारी महोदय, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

तहसील अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 079/2020

1. पुष्पेन्द्र कौर चहल पुत्री गुरप्रताप सिंह चहल जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।  
- वादीया

बनाम  
1. राजिन्द्र कौर चहल पत्नी गुरप्रताप सिंह चहल जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।  
2. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।  
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादीया को चक 3 बीएनडब्ल्यू के सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 45/49 मु0न0 47 कि0न0 1 ता 25 सालम कुल खसरा 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज तमाम आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है व वादीया को चक 14 एसडीएस के सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 92/17 प0न0 38/129 मु0न0 01 कि0न0 1 ता 5 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल क्षेत्रफल 1.265 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज तमाम आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।  
उपरोक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 04.09.2020 को जारी की गई।



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी